के निर्माण की अनुमति प्रदान करने के संबंध में दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) गत तीन वर्षो के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान की गई अनुमति संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में शहरी विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री आर.के. धवन) : (क) पूर्वनिर्मित भवनों में और मंजिलों के निर्माण की अनुमति मास्टर प्लान दिल्ली 2001 जोनल विकास योजनाओं के तहत निर्धारित विकास नियंत्रण मानदण्डों और भवन उपनियमों के अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा की जाती है इस बाबत अलग से कोई दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किए हैं।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचना दी है कि गत तीन वर्षो के दौरान उनके द्वारा उपरोक्त प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गयी।

दिल्ली छावनी बोर्ड ने दो मामलों में पहली मंजिल के निर्माण हेतु अनुमति दी है। नई दिल्ली नगर परिषद और दिल्ली विकास प्राधिकरण से ब्यौरे आने हैं।

डाक्टर पर होने वाला व्यय

2511. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सरकारी कालेजों में एक एम.बी.बी.एस. और एम.डी. छात्र पर कितना खर्च किया जाता है,

(ख) इस खर्च का कितना भाग विद्यार्थी से वसूल किया जाता है,

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान इनमें से कितने डाक्टर भारत से बाहर चले गये हैं, और

(घ) क्या सरकार, सरकारी मेडिकल कालेजों से पढ़कर निकलने वाले डाक्टरों के लिए कतिपय अवधि तक ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में काम करने की शर्त लगाने का विचार रखती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए. आर. अन्तुले) : (क) और (ख) भारतीय आर्युविज्ञान परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार सरकारी चिकित्सा कालेजों में चिकित्सा शिक्षा की लागत स्नातक स्तर पर प्रति छात्र 74 हजार रुपये से 1.78 लाख रु0 प्रतिवर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रति छात्र 71 हजार रुपये से 1.46 लाख रु0 प्रति वर्ष के बीच है। इन पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से ली जा रही फीस अति साधारण है।

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान विदेश गए डाक्टरों की संख्या नीचे दी गई है:-

1992	5949
1993	5989
1994	आंकड़ों का अभी संकलन नहीं किया गया।

(घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि विशिष्ट अवधि के लिए गांव में पोस्टिंग को अनिवार्य तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश से पहले पूर्वापेक्षित भी बनाया जाए।

मध्य प्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए पूंजी निवेश

2512. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान मध्य प्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु विदेशी पूंजी-निवेश संबंधी प्राप्त प्रस्तावों का जिला-वार ब्यौरा क्या है,

(ख) अब तक कितने प्रस्तावों को अनुमोदित तथा कार्यान्वित किया गया है,

(ग) क्या सरकार द्वारा अदिवासी क्षेत्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ड़) अनुमोदित प्रस्तावों के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ड़) गत तीन वर्षो के दौरान, 1993 से अक्टूबर, 1995 के अंत तक मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए प्राप्त तथा अनुमोदित विदेशी निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (**नीचे देखिये**)

परियोजना का क्रियान्वयन फलारंभ काल पर निर्भर करता है जो एक परियोजना से दूसरी परियोजना के मामले में बदलता रहता है। वास्तविक रूप से क्रियान्वित किये गये प्रस्तावों के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

विदेशी निवेशों के अनुमोदन नई औद्योगिक नीति के अनुसार स्वीकृत किये जाते हैं। किसी परियोजना की स्थाना स्थल उद्यमी की परख तथा निर्णय पर निर्भर है।